



DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(A CENTRAL UNIVERSITY)

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(केन्द्रिय विश्वविद्यालय)

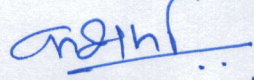
पत्र क./वित्त-लेखा/2024-25/609

दिनांक 06 जनवरी 2025

परिपत्र

विषय: शिक्षक/अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत क्लेम करते समय कर्मचारी आई.डी. का प्रयोग करने विषयक।

विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराया जाता है कि वे जब भी अपने व्यक्तिगत क्लेम जैसे चिकित्सा प्रतिपूर्ति/शिक्षा प्रतिपूर्ति/एल.टी.सी./टी.ए/न्यूज पेपर/टेलीफोन प्रतिपूर्ति. इत्यादि के आवेदन करते समय आवेदन के ऊपर दायी ओर कर्मचारी आई.डी. का प्रयोग आवश्यक रूप से करें, जिससे कि उक्त प्रकरणों का निराकरण वित्त एवं लेखा कार्यालय द्वारा सुविधा एवं सटीकता से किया जा सकें।


वित्ताधिकारी 06/01/25

प्रतिलिपि:

1. कुलपति जी के निज सचिव के माध्यम से कुलपति महोदया को सूचनार्थ।
2. कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक।
3. अधिष्ठाता, निदेशक, विभागाध्यक्ष, पुस्तकालयाध्यक्ष, काऑर्डिनेटर (समन्वयक), सहायक निदेशक, प्रभारी, संयुक्त कुलसचिव, उप कुलसचिव, आंतरिक लेखा एवं संपरीक्षा अधिकारी, विश्वविद्यालय यंत्री, सहायक कुलसचिव, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, चिकित्सा अधिकारी, हिन्दी अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, सहायक यंत्री, उपयंत्री, शाखा प्रभारी एवं विभिन्न कमेटियों के अध्यक्ष।
4. प्रभारी आई. टी. सेल।